राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक प. 3 (2) वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक : 29-12-2020

आदेश

विषय : विभागीय परियोजना स्वीकृति समिति में वित्त विभाग का प्रतिनिधि नामित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 16.12.1993 के क्रम में वित्त विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.2(4)वित्त/PWF&AR/99-I दिनांक 18.7.2013 द्वारा राजस्थान राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 5.00 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाले कार्यों की निविदाओं पर विचार–विमर्श/स्वीकृति हेतु गठित सर्वाधिकार मण्डल में वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संबंधित विभाग में पदस्थापित वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को सदस्य मनोनीत किया गया। साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभागीय स्तर पर गठित वित्त समिति तथा RUIDP में गठित टेण्डर अनुमोदन कमेटी में भी विभागीय वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को वित्त विभाग का प्रतिनिधि मान्य किया गया था।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि विभागों द्वारा उक्त आदेश दिनांक 18.7.2013 के अनुक्रम में विभाग की परियोजना स्वीकृति संबंधी बैठकों में भी वित्त विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।

अतः वित्त (साविलेनि) विभाग की उक्त अशा.टीप दिनांक 18.7.2013 के अनुक्रम में संबंधित विभागों को स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि उक्त टीप दिनांक 18.7.2013 मात्र निर्माण कार्यों की निविदाओं पर विचार–विमर्श/स्वीकृति के संबंध में जारी किया गया था। विभाग की परियोजना स्वीकृति संबंधी बैठकों में वित्त विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाना है।

आज्ञा से,

29/12/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
2. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
4. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
5. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

29/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in